<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 19/2019

1 इकबाल हुसैन पुत्र मोलाबक्स उर्फ मोला मोहम्मद जाति चोपदार मुसलमान पेशा नौकरी व कृषि निवासी फतेहसरा व निवासी बी. 16 इन्दिरा नगर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 सलीम उर्फ मोहम्मद सलीम पुत्र हाजी शौकत अली जाति लुहार मुसलमान निवासी मोहल्ला फतेहपुरिया झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3 अब्दुल गन्नी पुत्र अनवर खां।
4 समीम अहमद पुत्र अनवर खां समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू व निवासी मिलत नगर रोड़ नम्बर 3 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
5 उमराव पुत्र फतेह मोहम्मद उर्फ फता जाति चोपदार मुसलमान निवासी फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रोशन अली पुत्र फजरू खां।
2 असगर अली पुत्र फजरू खां समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती मदीना पत्नी यासीन जाति चोपदार मुसलमान निवासी नांगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
4 श्रीमती मकुल पत्नी नानुखां जाति चोपदार मुसलमान निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती लाडो पत्नी मजीद।
6 मृतका श्रीमती सुरज्ञान पत्नी मनीर खां।
6/1 मनीर खां पुत्र छोटु खां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6/2 रफीक पुत्र मनीर खां।
6/3 सलीम पुत्र मनीर खां।
6/4 शरीफ पुत्र मनीर खां।
6/5 आसीफ पुत्र मनीर खां समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 03 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6/6 श्रीमती रूकसाना पत्नी लियाकत अली पुत्री मनीर खां।
6/7 श्रीमती रिहाना पत्नी करामत अली पुत्री मनीर खां समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 15 मोहम्मदी मस्जिद के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6/8 श्रीमती आशी उर्फ आसमीन पत्नी इदरीश पुत्री मनीर खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 30 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6/9 श्रीमती नसीम पत्नी रहमत अली पुत्री मनीर खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 19 गिगराज के कुये के पास रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
7 लाल मोहम्मद पुत्र फतेह मोहम्मद उर्फ फता।
8 सदीक पुत्र फतेह मोहम्मद उर्फ फता समस्त जाति चोपदार निवासीगण फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।
9 मृतका श्रीमती भंवरी पत्नी फतेह मोहम्मद उर्फ फता जाति चोपदार मुसलमान निवासी फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।
9/1 श्रीमती फुली पत्नी यासीन।
9/2 श्रीमती सन्तोष पत्नी मोहम्मद सदीक समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण युनाईटेड गैस गोदाम के पास बाडलवास तहसील व जिला झुंझुनू।
9/3 श्रीमती मैना पत्नी मंगतु खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 03 मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
9/4 श्रीमती समीम पत्नी बन्ने खां जाति चोपदार मुसलमान निवासी चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 श्रीमती जायदा पत्नी जब्बार।
11 अलीशेर पुत्र जब्बार।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

12 आदिल पुत्र जब्बार।

13 रूबिना पुत्री जब्बार समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू तथाकथित नाबालिग जरिये सरंक्षक श्रीमती जायदा पत्नी जब्बार जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।

14 मृतक खाजुखां पुत्र दीना।

14/1 श्रीमती गुल्ली उर्फ गुलड़ी।

14/2 मृतक बाबुलाल पुत्र खाजुखां।

14/2/1 श्रीमती मोहनी पुत्र बाबुलाल।

14/2/2 सिकन्दर पुत्र बाबुलाल।

14/2/3 वसीम पुत्र बाबुलाल समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।

14/2/4 श्रीमती समीम बानो पुत्री बाबुलाल पत्नी नवाब अली जाति चोपदार मुसलमान निवासी चौपदारों का मोहल्ला डण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

14/2/5 श्रीमती मोमिना बानो पुत्री बाबुलाल पत्नी याकुब अली जाति चौपदार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 13 मित्लतनगर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

14/2/6 श्रीमती यासमिन बानो पुत्री बाबुलाल पत्नी जाकिर जाति चोपदार मुसलमान निवासी वार्ड नं. 13 मित्लतनगर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

14/3 भंवरअली पुत्र खाजुखां।

14/4 हबीब अली पुत्र खाजुखां समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।

14/5 रतनी उर्फ रतली।

14/6 मदीना पत्नी खुर्शीद अहमद।

14/7 जरीना पत्नी असमन समस्त जाति चोपदार निवासीगण वार्ड नम्बर 3 मोहल्ला चोपदारान झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

15 नानुखां पुत्र म्हालेखां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

16 सलीम पुत्र म्हालेखां।
17 सदीक पुत्र म्हालेखां।
18 मुमताज पुत्र गुल्लेखां।
19 उम्मेद अली पुत्र मोलाबक्स उर्फ मोला मोहम्मद समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण फतेहसरा तहसील व जिला झुंझुनू।
20 श्रीमती मोहनी पत्नी लाल मोहम्मद पुत्री गुल्लेखां जाति चोपदार मुसलमान निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
21 सुगनाराम पुत्र मोहब्बतराम जाति कुमावत युनाईटेड गैस गोदाम के पास बाडलवास तहसील व जिला झुंझुनू।
22 इदरीश पुत्र लाल मोहम्मद।
23 सदीक पुत्र मनीर खां समस्त जाति चोपदार मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 4 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
24 रामवतार पुत्र दुलीचन्द।
25 राजेश पुत्र दुलीचन्द।
26 रामनिवास पुत्र दुलीचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण हनुमानपुरा व निवासी युनाईटेड गैस गोदाम के पास बालडवास तहसील व जिला झुंझुनू।
27 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
28 आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
29 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू।
30 उप पंजीयक झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा रोशन अली आदि बनाम लाल मोहम्मद आदि दावा घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 251/2013

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सन्दीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री अशोक लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 251/2013 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2/वादीगण नं. 1 व 2 व इनकी माता वादीया नं. 3 श्रीमती गुटार ने अपीलान्टस/प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्टस नं. 3 से 5 व मृतका श्रीमती सुरज्ञान व रेस्पोडेन्टस नं. 7 से 9 व 10 से 14 व 15 से 30 प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनूं में दावा उनवानी रोशनअली आदि बनाम लाल मोहम्मद आदि दावा घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 251/2013 किया। उक्त दावे में रेस्पोडेन्टस नं. 1 व 2/वादीगण नं. 1 व 2 ने अपनी बहनों को प्रतिवादीगण नं. 18 से 21/रेस्पोडेन्टस नं. 3 से 6 को पक्षकार बनाकर इनके लिये भी सयुंक्त रूप से घोषणा आदि का अनुतोष चाहा गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने दावा संख्या 251/2013 उनवानी रोशनअली आदि बनाम लाल मोहम्मद आदि में दिनांक 01.02.2019 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में घोषणा एवं विभाजन का दावा था। विचारण न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादी संख्या 14, 18, 21, 25 व 19 की तामील करवाये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायालय की आदेशिका से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा 27.10.2016 को जरिये अखबार तामील का आदेश दिया गया है किन्तु इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन–किन पक्षकारों की तामील करवाई जानी है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2018 को शहादत बंद की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को शहादत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम होने के उपरांत दिनांक 09.01.2019 को जवाब दावा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया है। यह विधिक प्रक्रिया के स्पष्ट प्रतिकूल कार्यवाही है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विचाराधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई पक्षकार सुरज्ञान की दिनांक 06.02.2017 को मृत्यु हो चुकी थी। विचारण न्यायालय द्वारा मृत पक्षकार के कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 खाजु खां के वारिसान को सम्मन ही जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर बी जे 2010 एस.सी. पेज नम्बर 272, डी एन जे 2020(4) एस सी पेज नम्बर 1567, ए आई आर 2010 (पीएटी.) पेज नम्बर 189, आर बी जे 2001 एस सी पेज नम्बर 603, आर आर टी 2019(2) पेज नम्बर 1120 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि  प्रस्तुत प्रकरण में नामांतकरण संख्या 54 दिनांक 16.11.1976 ग्राम फतेहसरा एवं नामांतकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

संख्या 285 दिनांक 15.01.1989 ग्राम बाडलवास विवाद की विषयवस्तु है। प्रतिवादीगण द्वारा दीना के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा कर खसरा नम्बर 15 की भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 13.02.1975 को निष्पादित करवाया इसमें दीना की उम्र 50 वर्ष अंकित है। इसके उपरान्त दीना के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा कर अन्य विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1979 को निष्पादित करवाया इसमें दीना की उम्र 70 वर्ष अंकित है। इसके उपरांत वर्ष 1984 में निष्पादित विक्रय पत्र में दीना की उम्र 80 वर्ष अंकित है। स्पष्ट है कि भूमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया है। ग्राम बाडलवास की भूमियों बाबत दर्ज नामांतकरण में फजरू खां को छोड़कर ईदू व अनवर खां के नाम राजस्व रिकार्ड गलत रूप से दर्ज करवा दिया। प्रतिवादीगण का जवाबदावा तथ्यों व दस्तावेजों के विरूद्ध है। प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 54 व 285 के नामांतकरण के संदर्भ में जवाबदावे में कोई कथन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जानबुझकर चाराजोही नहीं की है। विचाराधीन निर्णय से ईदू व अनवर खां प्रभावित थे। इनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर धारा 15 के अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में घोषणा एवं विभाजन का दावा था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 14, 18, 21, 25 व 19 की तामील करवाये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इस तथ्य की पुष्टि विचारण न्यायालय की आदेशिका से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा 27.10.2016 को जरिये अखबार तामील का आदेश दिया गया है किन्तु इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन–किन पक्षकारों की तामील करवाई जानी है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2018 को शहादत बंद की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को शहादत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम होने के उपरांत दिनांक 09.01.2019 को जवाब दावा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया है। यह विधिक प्रक्रिया के स्पष्ट प्रतिकूल कार्यवाही है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विचाराधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में दौराने सुनवाई पक्षकार सुरज्ञान की दिनांक 06.02.2017 को मृत्यु हो चुकी थी। विचारण न्यायालय द्वारा मृत पक्षकार के कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 खाजु खां के वारिसान को सम्मन ही जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त प्रतिवादीगण की सम्यक तामील करवायें, मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करें, प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त करें, तनकीयात कायम करें तत्पश्चात उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर